कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 02 /सा.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./रायपुर/05.06/रायपुर दिनाँक 6.01.2006.

विज्ञापन सूचना

राज्यपाल,छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शासन के विहित शर्तो के अनुरूप बिना निविदा के कार्य पद्धति से कार्य करने इच्छुक प्रदेश के बेरोजगार इंजिनियरों (सिविल/इलेक्ट्रीक्लस) से पंजीयन के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

सामान्य शर्तें-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के इंजिनियरिंग कालेजों से अथवा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने प्रदेश के बाहर के राज्यों से इंजिनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हो ।
2. आवेदनकर्ता को बेरोजगार होने के हलफनामा देना होगा ।
3. पंजीयन शुल्क - अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए निःशुल्क होगा, अन्य वर्ग के लिए पंजीयन शुल्क रु0 1000/- होगा ।
4. पंजीयन के पश्चात् आवेदनकर्ता रु0 10.00 लाख तक के कार्य हेतु पात्र होंगे ।
5. पंजीयन संबंधी अन्य विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खंड कार्यालयों में एवं website :- cgphed.nic.in पर देखी जा सकती है।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र 106 /सा.शा/प्रा.अ/लो.स्वा.यां.वि/05-06/रायपुर, दिनांक 6.01.2006.

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
3. मुख्य अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,रायपुर/बिलासपुर ।
4. अधीक्षक,केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ । कृपया उक्त सूचना का प्रकाश्न राजपत्र संदेश में करवाने की कृपा करें ।(तीन प्रति में)
5. राज्य सूचना अधिकारी,NIC, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ । कृपया उक्त सूचना का विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट में प्रकाश्न करने का कष्ट करें ।
6. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद (विज्ञापन शाखा), जन संपर्क संचनालय, महिला थाना के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित ।(दस प्रति में)
7. अधीक्षण अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मडल ....की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. श्री संजय राठोर सहायक अभियंता,कार्यालय प्रमुख अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाईट में सूचना की प्रकाश्न हेतु आवश्यक कार्यवाही करें
10. सूचना पटल ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़,रायपुर

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शासन के विहित शर्तों के अनुरूप बिना निविदा के कार्य पद्धति से कार्य करने इच्छुक प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरों (सिविल/इलेक्ट्रीकल्स) से पंजीयन के लिये आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

<u>सामान्य शर्तेः–</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो बाहर से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त कियें है, ऐसे बेरोजगार इंजीनियरों को विभाग में पंजीकृत किया जावेगा तथा इन्हें निम्न शर्तों के अधीन निर्माण कार्य सौंपे जावेगें:–

(अ) एक बेरोजगार इंजीनियर का कार्य क्षेत्र निम्न लिखित दो परिक्षेत्रों में सें एक परिक्षेत्र होगा :–

(i) रायपुर परिक्षेत्र– संबंधित जिलाः–
दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुन्द ।

(ii) बिलासपुर परिक्षेत्र– संबंधित जिलाः– जशपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा ।

(ब) बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों (सिविल/इलेक्ट्रीकल्स) को पंजीयन के लिये यह हलफनामा देना होगा कि वह किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय या गैर शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है ।

(स) पंजीयन, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जावेगा, जिसका पंजीयन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार इंजीनियरों के लिये निःशुल्क होगा तथा सामान्य वर्ग के बेरोजगार इंजीनियरों के लिये रू0 1,000/– होगा ।

(द) पंजीयन का पुस्तिका (पासपोर्ट की तरह) जारी किया जावेगा जिसमें उनके व्यक्तिगत विवरण के साथ कार्य का विवरण होगा ।

(क) कार्य विज्ञापन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दिया जावेगा साथ ही विभागीय वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित किया जावेगा ।

(ख) पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियरों को रूपये 10.00 लाख की सीमा के निर्माण कार्य बिना निविदा प्रक्रिया के सीधे सामान्यतः विभाग में प्रचलित दर सूची (SOR) की दर पर कार्य आबंटित किये जावेगें । कार्य हेतु दर समय समय पर प्रमुख अभियंता द्वारा निर्धारित की जावेगी । वर्तमान वर्ष की दर प्रमुख अभियंता द्वारा आदेश जारी होने के एक माह में निर्धारित की जावेगी ।

(ग) आबंटित कार्य का 60% कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही दूसरा कार्य पंजीकृत इंजीनियरों को दिया जावेगा लेकिन वर्ष में कूल आबंटित कार्य की लागत सीमा अधिकतम रू0 40. 00 लाख रहेगा ।

(घ) एक ही कार्य के लिये एक से अधिक इंजीनियर कार्य करने के इच्छुक हो तो उनके बीच कार्य का बटवारा लाटरी सिस्टम से होगा ।

(ट) बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों को आबंटित कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग के साथ प्रपत्र A-A में अनुबंध करना अनिवार्य रहेगा ।

(ठ) बेरोजगार इंजीनियरों को कुल लागत का 10% राशि विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिये मोबलाइजेशन एडवांस के रूप में प्रदान की जावेगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार इंजीनियरों के लिये मोबलाइजेशन एडवांस की राशि 15% रहेगी ।

(ड) मोबलाइजेशन एडवांस प्रदान करने हेतु बेरोजगार इंजीनियरों को राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी हागी ।

(ढ़) बेरोजगार इंजीनियरों को कार्य हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की पुर्ति करने में सहायता प्रदान की जावेगी ।

(च) पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियर आंबंटित कार्य अधूरा छोड़ देता है तो उसका पंजीयन रद्द कर दिया जावेगा ।

(छ) पंजीयन बाबत निर्धारित आवेदन प्रपत्र निम्नानुसार होगाः–

<u>आवेदन फार्म</u>

रंगीन फोटों
पासपोर्ट साईज

बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों (सिविल / इलेक्ट्रीकल्स) को रोजगार प्रदाय करने के लिए पंजीयन बाबत आवेदन ।

मैं ....पिता / पति श्री ....

जाति–(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) जन्म तिथी............................आयु.........................

निवासी शहर / ग्राम / मोहल्ला / वार्ड.. ....

....फोन नं...थाना

....तहसील......................................जिला...

छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ । मेरा स्थायी पता..

....है । मैने ....

महाविद्यालय ....विश्वविद्यालय से स्नातक (सिविल / इलेक्ट्रीकल्स) की डिग्री वर्ष...में प्राप्त किया / की है ।

मैं किसी शासकीय / अर्धशासकीय / अशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं हूँ । मै लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, में शासन के विहित शर्तो के अनुरूप बिना निविदा के कार्य पद्धति से कार्य करने का इच्छुक हूँ । अतः पंजीयन कराना चाहता / चाहती हूँ ।

मैं विभाग में निम्नांकित किसी एक ग्रुप **(A)** <u>रायपुर परिक्षेत्र</u> / **(B)** <u>बिलासपुर परिक्षेत्र</u> में कार्य करना चाहता / चाहती हूँ ।

2. ग्रुप का नामः–

(A) <u>रायपुर परिक्षेत्र</u>

1.रायपुर
2.दुर्ग
3.राजनांदगांव
4. कवर्धा (कबीरधाम)
5.महासमुन्द
6.धमतरी
7.जगदलपुर
8.दन्तेवाड़ा
9.कांकेर

(B) <u>बिलासपुर परिक्षेत्र</u>

1.बिलासपुर
2.जांजगीर–चांपा
3.कोरबा
4.रायगढ़
5.जशपुर
6.सरगुजा
7.कोरिया

मैं अपने आवेदन की पुष्टि में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), पंजीयन शुल्क, बेरोजगार होने का हलफनामा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ ।

अतः पंजीयन करने की कृपा करें ।

आवेदक का नाम
हस्ताक्षर

मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त जानकारी मेरे स्वज्ञान से सहीं है । किसी जांच में असत्य पाये जाने पर विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक का नाम
हस्ताक्षर